ब—अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0— 177/16—17

रोहित पंडित बनाम् सत्य नारायण साह

(5)

—: आदेश :—

वर्त्तमान वाद आवेदक रोहित पंडित, पे0—स्व0 भूमेश पंडित, सा0—लोहण्डिया, थाना—ललमटिया, जिला—गोड्डा के आवेदन पर मौजा—लोहण्डिया नं0—45, जमाबंदी नं0—16, दाग नं0—159, रकवा—00—05—05 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा—लोहण्डिया नं0—45, जमाबंदी नं0— 16, दाग नं0—159, रकवा—01—08—09 धूर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जहलु कुम्हार के नाम से दर्ज है, परन्तु अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा निर्गत संबंध प्रमाण पत्र ज्ञापांक—129, दिनांक—18.10.2012 में जहलु कुम्हार के स्थान पर अहलु कुम्हार अंकित है। आवेदक रोहित पंडित जमाबंदी रैयत जहलु कुम्हार के वंशज हैं। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से निर्गत संबंध प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न किया गया है। विपक्षी द्वारा जमाबंदी नं0—16, दाग नं0—159, के अंदर रकवा— 00—05—05 धूर जमीन आवेदक की अनुमति के बगैर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आवेदक द्वारा अवरोध करने पर विपक्षीगण गाली—गलौज एवं मारपीट करने तथा आवेदक के हिस्से की जमीन हड़पने पर उतारू हो जाते हैं। वर्णित जमीन का जमाबंदी रैयतों के बीच मौखिक बटवारा हो गया है तथा सभी फरीकान अपने—अपने हिस्से पर शांति पूर्वक दखलकार चले आ रहे हैं। विपक्षी को उक्त जमाबंदी की जमीन से किसी प्रकार का न तो सामाजिक और न ही वैधानिक अधिकार है। विपक्षीगण मनबढ़ू किस्म के व्यक्ति हैं तथा समाज के असमाजिक तत्वों से संबंध रखते हैं, जिसके शह पर आवेदक के हिस्से की मौजा—लोहण्डिया नं0—45, जमाबंदी नं0— 16, दाग नं0—159, रकवा—00—05—05 धूर जमीन पर जबरन निर्माण कार्य करा रहे हैं। अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा—20 एवं 42 के तहत् उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के क्रमांक—129/रा0, दिनांक—18.10.2012 द्वारा निर्गत संबंध प्रमाण पत्र की छाया प्रति, जमाबंदी नं0—16 के पर्चा की छाया प्रति जमा किया गया है।

विपक्षी दिनेश प्रसाद साह के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा किया गया मुकदमा चलने योग्य नहीं है। दस वर्ष पूर्व आवेदक के पिता एवं विपक्षी में काफी दोस्ताना संबंध रहा है। विपक्षी से नजदिकी संबंध में होने के कारण एक—दूसरे के सुख—दुख में सहयोग किया करते थे। आवेदक के पिता से विपक्षी का दोस्ताना संबंध रहने के कारण विपक्षी को मकान बनाने का जमीन नहीं रहने पर शपथ पत्र के माध्यम से बसोवास के लिए रकवा— 00—05—05 धूर जीमन दिया था। आवेदक के पिता ने दिनांक—16.02.2005 को अन्य गवाहों के साथ जमीन विपक्षी को दोस्ताना संबंध होने की वजह से शपथ पत्र के माध्यम से रहने के लिए दिया गया है। वर्तमान में उक्त जमीन पर विपक्षी तीन कमरे का पक्का का मकान बनाकर सपरिवार बसोवास करते आ

रहे हैं। गांव के कुछ असमाजिक तत्व के व्यक्ति के बहकावे में आकर आवेदक द्वारा मुकदमा दायर किया गया है। अंत में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रैयती जमीन किस प्रकार प्राप्त किया गया है, इसके साक्ष्य में विपक्षी द्वारा कोई कागजात जमा नहीं किया गया है। आवेदक जमाबंदी रैयत के वंशज हैं तथा विपक्षी बाहरी व्यक्ति हैं। अतः संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 का उपयोग करते हुए वादगत भूमि मौजा–लोहण्डिया नं0–45, जमाबंदी नं0–16, दाग नं0–159, रकवा–00–05–05 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद किया जाता है।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को निदेश दिया जाता है कि वादगत भूमि पर आवेदक को दखल दिलाकर न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

08/01/19

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

08/01/19

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

ज्ञापांक– 338 / 15/1/19